KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. 1st YEAR SESSION – 2021-2023

SUBJECT - भारतीय शिक्षा का इतिहास

TOPIC NAME – वुड का आदेश - पत्र 1854

DATE - [illegible]/2022

वुड का आज्ञापत्र 1854

PAGE NO.
DATE :

1853 ई॰ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आज्ञापत्र के नवीनीकरण के अवसर पर ब्रिटिश लोकसभा ने भारतीय शिक्षा के लिए कुछ स्थानीय नीति निर्धारित करने की आवश्यकता हुई भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जाँच करके प्रगति हेतु सुझाव देने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त हुई इस समिति ने देश की शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जाँच की और विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया तद्पश्चात महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जिनका प्रकाशन 19 जुलाई 1854 ई॰ को एक आज्ञापत्र के रूप में हुआ जिसे वुड का आज्ञापत्र कहते है। सर चार्ल्स वुड कम्पनी के नियंत्रण बोर्ड के प्रधान थे और उनके प्रभावपूर्ण संरक्षण एवं निर्देशन में आज्ञापत्र तैयार हुआ था अतः यह वुड का आज्ञापत्र कहा गया 100 अनुच्छेदों का यह आज्ञापत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

आज्ञापत्र की संस्तुतियाँ

इस आज्ञापत्र में निम्नलिखित पहलुओं पर संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई थी —

(1) शैक्षिक नीति (Educational Policy)
(2) शैक्षिक प्रशासन (Educational Administration)
(3) शैक्षिक विकास (Educational Development)

शैक्षिक नीति — 1853 से पूर्व भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की शैक्षिक नीति यह थी कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो हमारे और उन लाखों लोगों के मध्य द्विभाषीय बन सके और राजपदों पर कार्य करने के लिए सुयोग्य एवं विश्वसनीय कर्मचारी प्राप्त हो सकें। आज्ञापत्र में उक्त नीति को त्यागकर भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन शैक्षिक नीति लागू किया गया।

(1) शिक्षा का उत्तरदायित्व — भारत में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार का समस्त उत्तरदायित्व कम्पनी पर है।

(11) शिक्षा के उद्देश्य —
(1) बौद्धिक स्तर को ऊपर करना।
(2) पाश्चात्य शिक्षा दर्शन से परिचित कराना।
(3) भारत के मूल निवासियों में नैतिक एवं भौतिक सुख समृद्धि का प्रतिपादन करना जो उपयोगी ज्ञान

के सामान्य प्रसार से प्रभावित होता है।
(4) कम्पनी के लिए सुयोग्य कर्मचारी वर्ग की स्थापना

शिक्षा का माध्यम —

(1) अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा दी जाए।

(2) प्राच्य भाषा के माध्यम से जनसाधारण को शिक्षा दी जाए।

पाठ्यक्रम —

भारत में जो भी मिशनरी होगी उसमें धार्मिक शिक्षा को पूर्णरूप से दूर रहेगी। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। किन्तु इन विद्यालयों में बाइबिल की पुस्तक रखना अनिवार्य होगा। पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना भौतिक उन्नति पर जोर देना।

शैक्षिक प्रशासन

(1) शिक्षा का दायित्व कम्पनी के ऊपर होना चाहिए।

(2) पूरे भारत में एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए (जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक था)

(3) सहायता अनुदान प्रणाली और ग्रान्ट प्रणाली को स्थापना।

(1) भारत में जो भी गरीब छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए।
(2) प्रयोगशाला स्थापित किया जाए।
(3) विद्यालय भवन स्थापित करने के लिए पैसा दिया जायेगा।
(4) वार्षिक परीक्षाओं की व्यवस्था का दायित्व भी विद्यालय निरीक्षकों पर होगा
(5) भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।
(6) प्रत्येक विश्वविद्यालय में चान्सलर एवं वाइस-चांसलर (कुलपति) मिलकर एक सीनेट बनाएँ तथा वि.वि० सम्बन्धी समस्त अधिकार सीनेट को प्राप्त हो।
(7) वि.वि० में कानून एवं सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
(8) वि०वि० में धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण अपनाया जाए।
(9) वि०वि० में संस्कृत, अरबी एवं फारसी के लिए प्रोफेसर नियुक्त किए जायें।

शिक्षण संस्थाएँ — विभिन्न स्तर पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई इनका दायित्व कम्पनी पर सौंपा गया व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना कलकत्ता एवं मुम्बई में वि०वि० की स्थापना की गई इनका मॉडल लन्दन वि०वि० के मॉडल बेस पर आधारित थी।

इन वि.वि. में सीनेट यह तय करती थी कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए परीक्षा प्रणाली कैसी हो वि.वि. में किस स्तर के शिक्षक हों कलकत्ता एवं मुम्बई वि.वि. से जुड़े कई महाविद्यालयों की स्थापना

3 शैक्षिक विकास

(1) जन शिक्षा (Mass education)

आज्ञापत्र में निस्पन्दन सिद्धान्त की कटु आलोचना की गई और जन शिक्षा के विकास के लिए विशेष चिन्ता व्यक्त की गई इसके लिए आज्ञापत्र में निम्नलिखित संस्तुतियां की गई।

1 उच्च शिक्षा के साथ-साथ जनसाधारण की शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया जाए।

2 इसके लिए व्यय में वृद्धि की जाय

2. सहायता अनुदान प्रणाली — शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता अनुदान देने के सम्बन्ध में आज्ञापत्र में लिखा गया है।

"हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश में अधिक सफलता से व्यवहार में लाई गई और हम विश्वासपूर्वक यह आशा करते हैं कि शिक्षा का तीव्र गति से जितना विकास सरकार के व्यय में वृद्धि करके सम्भव है उससे कहीं अधिक स्थानीय संसाधनों का सहयोग प्राप्त करके तथा राज्य के योगदान में वृद्धि करके कर सकते हैं।

आज्ञापत्र में विद्यालयों को सहायता अनुदान शिक्षकों की वेतन वृद्धि पुस्तकालय भवन निर्माण विज्ञान कक्ष तथा छात्रवृत्तियां आदि के लिए अलग अलग देने का सुझाव दिया गया।

स्त्री शिक्षा —

शिक्षा के विकास के लिए स्त्री शिक्षा का विकास अति-आवश्यक है स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए आज्ञापत्र में निम्नलिखित संस्तुतियां की गई

1. स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू किया जाय।
2. स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए धन देने वाले व्यक्तियों को सम्मान दिया जाय।

PAGE NO.
DATE :

व्यावसायिक शिक्षा ⇒ व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गयी।

1. भारत में अधिक संख्या में नार्मल स्कूल खोले जाए जिनमें शिक्षकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाय
2. छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण के समय अधिक छात्रवृत्तियाँ दी जाय।
3. उनको छात्राध्यापकों को तुरंत सर्विस दिलाने की व्यवस्था की जाय।
4. कानून की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
5. भारत में कलकत्ता एवं बम्बई के समान अन्य प्रमुख नगरों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाय।
6. तकनीकी ज्ञान एवं कौशल के लिए रूड़की तकनीकी कॉलेज की तरह मद्रास एवं अन्य प्रान्तों में तकनीकी कॉलेजों की स्थापना की जाय।

मुस्लिम शिक्षा ⇒ भारत में आज भी मुस्लिम सोसाइटी शिक्षा से दूर रहना चाहती है। इसलिए इसके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाए छात्रवृत्ति की व्यवस्था तथा इनके लिए एक अलग विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए।

PAGE NO.
DATE :

आज्ञापत्र के गुण ⟹

(1) भारत में स्पष्ट शिक्षा नीति की स्थापना
2 आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया गया।
3. निस्पंदन सिद्धान्त की समाप्ति कर जनसाधारण की शिक्षा के प्रसार
4. प्राच्य साहित्य एवं देशी भाषाओं को स्वीकार करके उसे पाठ्यक्रम मे स्थान देना।
5. देश में शैक्षिक संगठन को सुदृढ़ बनाना।
6. वि० वि० की स्थापना
7 व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
8. स्त्री शिक्षा पर जोर
9. मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा
10. ग्रान्ट सिस्टम का विकास

दोष →

(1) शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर निर्धारित करके अफसरशाही को बढ़ावा।
2 उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को बढ़ावा।
3. धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं
4. प्राचीन भारतीय वि० वि० की उपेक्षा
5. शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी

नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने के कारण शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञानार्जन न होकर जीविकोपार्जन हो गया।

निष्कर्ष — उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्न दोष होते हुए भी आज्ञापत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आज्ञापत्र ने देश की तत्कालीन शैक्षिक समस्याओं का समाधान करके नवीन दिशा प्रदान की थी।